11.9.25 पत्रावली पेशी में ली गई। अधिवक्ता वादी को सुना जाकर पत्रावली आज पेशी में रखी गई। वादी ने याचित किया कि चक 2SNM के खाता सं. 184/157 में वादी का नाम हुसैन खां दर्ज रिकॉर्ड है, को दुरुस्त कर हुसैन खां उर्फ मोहम्मद हुसैन दर्ज करवाना चाहता है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। हल्का पटवारी द्वारा तैयार दैनिक डायरी दिनांक 9.9.25 में अंकित किया गया है कि हुसैन खां व मोह. हुसैन एक ही व्यक्ति के नाम है। साक्ष्य मे तस्दीक पूनम शर्मा व्याख्याता रा. उ. मा. वि. फतेहगढ़, पुष्पा शर्मा, व्याख्याता रा. उ. मा. वि. हनुमानगढ़ टाउन द्वारा की गई जिससे वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि चक 2SNM खाता सं. — 184/157 में दर्ज खातेदार हुसैन खां वल्द फैजू खां की जगह हुसैन खां उर्फ मोहम्मद हुसैन ~~खां~~ वल्द फैजू खां दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

इसी अनुसार अंकन कर नाम दुरुस्त किया जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़